

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5182  
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

**फर्जी कॉल और एसएमएस घोटाले**

**5182. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

**श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में फर्जी कॉल और एसएमएस घोटालों के बढ़ते खतरे से अवगत है, जिसमें धोखेबाज बैंक, सरकारी एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं जैसे वैध संगठनों का प्रतिरूपण करने के लिए स्पूर्फिंग तकनीक का उपयोग करते हैं;
- (ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं के मामलों की संख्या, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र और इन घोटालों से होने वाले अनुमानित वित्तीय नुकसान सहित ब्यौरा क्या है,
- (ग) फर्जी कॉल और एसएमएस घोटालों की समस्या विशेषकर धोखेबाजों द्वारा लोगों को धोखा देने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किए जाने से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (घ) क्या ऐसे धोखाधड़ी वाले कार्यकलापों की पहचान करने और उनसे बचने के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ऐसे घोटाले करने वाले अपराधियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दूरसंचार संचालकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ कोई सहयोग किया गया है, और
- (च) यदि हां, तो ऐसे सहयोगों का ब्यौरा क्या है और ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने की सफलता दर क्या है?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

- (क) से (ग) कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार, साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत आते हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इसके अलावा, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार,

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को फ्रेमवर्क और इको-सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। गृह मंत्रालय ने आमजन को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल- एनसीआरपी (<https://cybercrime.gov.in>) भी लॉन्च किया है। आई4सी के अनुसार, वर्ष 2024 में एनसीआरपी पर दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या और नुकसान की राशि क्रमशः 19.18 लाख और 22811.95 करोड़ थी। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने ऐसी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक सिस्टम बनाया है जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है और जो भारत के भीतर से ही की गई प्रतीत होती हैं। ये कॉल भारत के भीतर से ही की गई प्रतीत होती हैं परंतु इन्हें विदेश में बैठे साइबर अपराधियों द्वारा कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में धोखाधड़ी करके किया जा रहा था।

(घ) दूरसंचार विभाग दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी और स्कैम के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संचार साथी ऐप/पोर्टल, जो जानकारी प्राप्त करने, संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने और नवीनतम दूरसंचार सुरक्षा उपायों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए एक नागरिक-केंद्रित पहल है, का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। नागरिकों के साथ संपर्क सशक्त सोशल मीडिया अभियानों, नियमित प्रेस विज्ञप्तियों, एसएमएस अभियानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए)/बैंकों/टीएसपी/छात्र स्वयंसेवकों आदि जैसे अनेक हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से बनाया जाता है।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से संबंधित सूचना को हितधारकों के बीच साझा करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) विकसित किया है। डीआईपी से लगभग 560 संगठनों को जोड़ा गया है जिनमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, 35 राज्यों की पुलिस, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) आदि शामिल हैं। भारतीय मोबाइल नंबर डिस्प्ले करने वाली इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने का सिस्टम दिनांक 17.10.2024 को शुरू किया गया और इसने लॉन्च होने के 24 घंटे के भीतर ही स्पूफ़ कॉल के रूप में पहचान करके 1.35 करोड़ कॉलों को ब्लॉक करके महत्वपूर्ण परिणाम दर्शाये हैं। दिनांक 03.03.2025 की स्थिति के अनुसार, स्पूफ़ कॉल के रूप में अभिचिह्नित और ब्लॉक की गई कॉलों की संख्या केवल 4 लाख थी। इस प्रकार, इस सिस्टम के परिणामस्वरूप भारतीय सीएलआई के साथ की गई इनकमिंग स्पूफ़ कॉलों में लगभग 97% की कमी आई है।

\*\*\*\*\*